फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कैलाश बनाम अजयकुमार वगै०

किस्म मुकदमा दावा मु0नं0 111/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हुए। पत्रावली में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2022/1276 दिनांक 30.11.2022 द्वारा पेश किए जा चुके है। वादी अधिवक्ता की बहस कुर्रेजात प्रस्ताव का मनन किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि कुर्रेजात प्रस्ताव सही है एवं नियमानुसार है इसलिए अन्तिम डिक्री किया जावे। वादी अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर होता है। अतः वाके रामा ब्राम्हण बैराड़ा तह0 सिकराय जिला दौसा की प्रश्नगत भूमि के तकास्मा हेतु उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में उक्त पत्रांक द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	